

21 $\frac{12}{23}$

2023
462

अधिवक्ता उभय पक्ष उवाचित/अधिवक्ता
विपक्षीगण द्वारा दिनांक 04/10/2022 को
पुस्तक जवाब जो संलग्न पत्रफली है,
रेकार्ड पर लिया जाता है। अधिवक्ता
प्राचीगण ने दस्तावेज विक्रम पत्र की
प्रमाणित प्रति पुस्तक की जो शामिल
मिसल भिन्न जाते बहल प्रकरण अधिवक्ता
उभय पक्ष सुनी गई। हमने पत्रफली
के साथ मूल वाद पत्र का भी अवलोकन
अवधान कर बहल अधिवक्ता उभय पक्ष
पर गहनता से मगन किया। प्राचीगण
का प्रार्थना पत्र न्याय दित से (जीका)
योग्य पाया जाने से स्वीकार किया
जाकर मौजा ओछडी प० ६० ओछडी
तहसील चित्तौड़गढ़ की जैत बहल आराजी
संख्या 157, 158, 159, 160, 161 कुल क्षेत्र 5
कुल रकबा 3.40 हे. की ताकैलला वाद
मौजा एवं रेकार्ड की शर्वात स्थिति
बनाये रखने के आदेश दिए जाते हैं।
निजीय लिखवाया जाकर सुनाया गया।
पत्रफली केवल शुमार होकर नम्बर ले
फम हो एवं मूल वाद पत्रफली संख्या
254/2022 के साथ संलग्न की जावे।

राम

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़